न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–04 / 19 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2019 / 00010

उनवान

अतर खॉ पुत्र गब्दू जाति मेव निवासी ग्राम विडगंवा तहसील नगर जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. महमूदा पुत्र गब्दू
2. समीम पुत्र गब्दू

} जाति मेव ग्राम विडगंवा तहसील नगर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(सहायक कलक्टर) नगर दिनांक 08.01.2019 उनवानी महमूदा बनाम अतर खॉ प्र0स0 03 / 2018

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश चन्द गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मुवीन खॉ उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–22.10.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) नगर के आदेश दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी / अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम विडगंवा तहसील नगर में स्थित है। जिसमें पक्षकारान सहकाश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं एवं सभी मिलजुल कर फसल आदि को बॉट लेते हैं। परन्तु इस बार फसल बॉटने में पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो गया है एवं अब शामिल काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी / रैस्पो0 ने विवादित आराजी का बॅटवारा कराने की कहा तो वह साफ इंकारी

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

हो गये एवं विवादित आराजी पर प्रार्थी/रैस्पो0 को काश्त करने से रोकने पर आमदा हो गये व अच्छी अच्छी आराजी पर पक्का निर्माण करने की धमकी देने लगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस अग्र पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के मध्य अर्सा करीब 23–24 साल पहले विभाजन हो चुका है एवं सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है। रैस्पो0 ने मूल दावे के सभी पक्षकारो को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मूल दावे के सभी व्यक्तियो को पक्षकार नहीं बनाया गया तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मेंटेनेविल नहीं होगा। रैस्पो0 द्वारा उक्त न्यायिक नजीरो को प्रस्तुत भी किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक नजीरो की ओर ध्यान ना देते हुये, मनगाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि निर्माण बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्माण नहीं करने बाबत् निषेधाज्ञा पारित की गयी है। अतः निर्णय नोन स्पीकिंग होने के कारण काबिले खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे(12) 2005 पेज 345 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है एवं विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन उचित ही है। दौराने वाद यदि विवादित आराजी का रहन, वय, मुंतकिल हो जाने पर वेवजह वादकरण वढेगा। सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलाण्ट जब कोई निर्गाण होना नहीं बताते हैं तो उन्हें अपीलाधीन आदेश से क्या आपत्ति है, स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट का यह कथन कि पूर्व में विभाजन हो चुका है, झूठा व निराधार है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विवादित आराजी के विभाजन बावत् प्रस्तुत हुआ है। जिसमें सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के मध्य अर्सा करीब 23–24 साल पहले विभाजन होना कथन करते हैं। चूंकि पक्षकारो के अधिकार साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना उपरान्त मूल दावे में तय होगें, परन्तु दौराने वाद, वादग्रस्त विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरापद है। यह पाबंदी वाद बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर के निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर